न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 127/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
रामचन्द्र पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नुरे की भुर्ज तहसील बाप जि ıı जोधपुर		1– केशर सिह पुत्र उदयसिह 2– डुंगरसिह पुत्र उदयसिह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम आमला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2020 मे दिनांक 8–10–2020 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–श्री मनोहरसिह राठौ अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
4–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15–1–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि रेस्पो0 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम खाखूरी के खसरा नंबर 7/5 रकबा 141 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण रेस्पो0 द्वारा सीमांकन हेतु तहसीलदार बाप को पेश किया, जिस पर पैमाईश दिनांक 18–5–2019 को हो चुकी है, इस पैमाईश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रेस्पो0 के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 7/5 ग्राम खाखूरी की पत्थरगढी का निवेदन किया । उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार बाप को ही पडौसी खातेदार बनाया पडौसी किसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया, जिस पर अपीलांट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाने का पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 31–8–2020 को खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे निगरानी पेश की जो निगरानी संख्या 3429/2020 रामचन्द्र बनाम केशरसिह मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप की पत्रावली तलब की जाकर आगामी पेशी दिनांक 9–12–2020 को रखी गई । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 8–10–2020 को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम खाखूरी के खसरा नंबर 7/5 रकबा 141 बीघा 19 बिस्वा भूमि की पैमाईश मौका फर्द दिनांक 18–5–2019 अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार बाप को पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

समक्ष प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने से पूर्व रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से एक केवियट प्रार्थना पत्र अपील पेश होने से पूर्व ही प्रस्तुत होने से उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0 संख्या 2 अधिवक्ता एवं अपीलांट अधिवक्ता को सुनकर दिनांक 22-10-2020 को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये । शेष रेस्पो0गण के सम्मन तामिल हो चुके है तथा उनकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हो गये है परंतु अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड अप्राप्त है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर न्यायालय से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये बिना इस आशय का अतिरिक्त निर्देश तहसीलदार लोहावट को पारित कर दिये जाये कि अपीलांटगण के खातेदारी खेत की भी पैमाईश कर पत्थरगढी कर ली जाये ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये बिना अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि के संबंध मे यदि तहसीलदार लोहावट को कोई अतिरिक्त निर्देश पारित किये जाते है तो उन्हे भी किसी प्रकार की आपत्ति नही होना बताया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का भी अध्ययन किया । पक्षकारो के अधिवक्ता की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8-10-2020 को यथावत रखते हुए तहसीलदार बाप को यह अतिरिक्त निर्देश पारित करते है कि वे अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबर की भूमि की भी विधिवत पैमाईश पक्षकारान की उपस्थिति मे करें तथा अपीलांट के खातेदारी की भूमि की भी विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न करें ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8-10-2020 मे उक्त अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15-1-2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर